कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 503 दिनांक :– 19.6.2025

सेवा में,

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल,
राँची।

विषय :– **चूरी–बेंती भूमिगत कोल परियोजना हेतु कुल 281.17 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल–65.84 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल–215.33 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/23021/2016) के संबंध में।**

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 925 दिनांक 07.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 के चूरी–बेंती भूमिगत कोल परियोजना (FP/JH/MIN/23021/2016) हेतु कुल 281.17 हे0 में से चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत–65.84 हे0 का प्रस्ताव हार्ड कॉपी में प्राप्त हुआ है। परन्तु उक्त परियोजना हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल अंतर्गत–215.33 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव एवं उसकी हार्ड कॉपी अबतक अप्राप्त है।

अनुरोध है कि राँची वन प्रमण्डल अंतर्गत चूरी–बेंती भूमिगत कोल परियोजना हेतु–215.33 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में यह भी सूचित किया जाय कि विषयगत परियोजना में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

19/6/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

19-6

E:\ANUJ\Nitish\Churi Benti\Churi-Benti letter 281.17 ha..docx

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

प्रेषक,

अलका तिवारी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

राँची, दिनांक– 8/10/2014

विषय :– Web Portal for online submission & monitoring of forest clearance proposals.

महाशय,

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की गजट अधिसूचना संख्या– GSR 185 (E) दिनांक 14.03.2014 द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 प्रकाशित किया गया है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् समर्पित वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों के सभी स्तर से निष्पादन हेतु अधिकतम समय–सीमा का भी निर्धारण किया गया है। नियमावली के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित अधिकतम समय सीमा की विवरणी इस पत्र के साथ आपके एवं सभी अधीनस्थ अधिकारियों के मार्ग निर्देश हेतु संलग्न है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.-11-232/2014-FC (अंश) दिनांक 24.07.2014 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावों के Online निष्पादन हेतु एक विशेष Web Portal शुरू करने की सूचना दी गयी है। यह Portal दिनांक 15.07.2014 से आरम्भ कर दिया गया है। दिनांक 15.08.2014 से प्रयोक्ता संस्थानों को प्रस्ताव online ही देना बाध्यकारी है तथा विभागीय स्तर पर उनका निष्पादन भी online ही होगा।

वन भूमि अपयोजन प्रस्तावों के निष्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा जो online प्रकिया प्रारंभ की गयी है, उसमें क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा का प्रावधान नहीं है, जबकि वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 के नियम 3(3)(i) के अनुसार नोडल पदाधिकारी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रस्ताव राज्य सरकार को समर्पित करने की बाध्यता है।

Manoj ! 347

वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 के नियम 2(i)(ba) के अनुसार –

" the Conservator of Forest includes CF or CCF or RCCF or any such similar designation to hold charge of a Forest circle."

उपरोक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य में वनभूमि अपयोजन के प्रस्तावों के निष्पादन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं –

(1) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव/अनुपालन प्रतिवेदन की Online अनुशंसा भेजने के पूर्व नोडल पदाधिकारी संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के अंदर प्रस्ताव/अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजेंगें तथा इसका उल्लेख भी हार्ड कॉपी में किया जायेगा।

(2) वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव/अनुपालन प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी को भेजने के पूर्व संचिका पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा इसका उल्लेख हार्ड कॉपी में भी किया जायेगा।

कृपया, वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 के आलोक में राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि का अनुपालन सभी स्तरों पर प्रस्ताव/अनुपालन प्रतिवेदन भेजते समय सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

(अलका तिवारी)
सरकार के प्रधान सचिव।

कार्यालयः- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-19 एम0 5(5) 4/2014 4203 दिनांक- 11.11.14

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची/जमशेदपुर/हजारीबाग/दुमका/पलामू, मेदिनीनगर/बोकारो/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, रांची/क्षेत्र निदेशक पदाधिकारी, पलामू व्याघ्र परियोजना/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। राज्य सरकार के उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड, रांची।